श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र

चाँदखेडी, खानपुर,

जिला झालावाड (राजस्थान)

सत्य प्रतिलिपि
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
कोटा खण्ड कोटा

<u>विधान पत्र</u>

(नियमावली)

TWO RUPEES
FOR COPYING FEES ONLY

श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र चाँदखेडी,

खानपुर, जिला झालावाड (राजस्थान)

प्रस्तावना

अनाधिनिधन सनातन प्रवाहमान दिगम्बर जैन धर्म के अनन्त तीर्थंकर हुए हैं और होंगे। इसी श्रंखला में बारापाटी (शेरगढ) ग्राम के जंगल के कुण्ड के तल भाग में 5वीं शताब्दी के आदिनाथ चन्द्र प्रभू सहित अनेक जिनबिम्ब विराजमान थे, जो दुनिया की दृष्टि से ओझल थे। 17वीं शताब्दी में कोटा रियासत के दीवान किशनदास जी मड़िया (दिगम्बर जैन बघेरवाल) सागोंद निवासी को स्वप्न में उस समवसरण के दर्शन हुए तदनुसार मड़िया जी उस समवसरण को अपने ग्राम ले जाना चाहते थे, लेकिन रूपाली नदी के मध्य में चमत्कारिक ढंग से गाडियां रूक गई, तब पूरा समवसरण वहीं रूपाली नदी पर विराजमान करके मंदिर निर्माण किया गया। मर्कतमणि के मूल भगवान, चन्द्रप्रभू भगवान की प्रसिद्धी जगत में होने के कारण इस स्थान का नाम चांदखेडी पडा तथा बाद में मंदिर को आताताायी शक्तियों एवं काल के थपेडों ने इसे वीरान बना दिया। क्षेत्र के पुण्योदय से चौबीस मार्च 2002 को मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज ससंघ का पदार्पण हुआ। उन्होंने समस्त वास्तु–दोष दूर करके अपनी दिव्य साधना एवं अतिशयकारी तपस्या से देवों द्वारा प्रदत्त स्वप्न के माध्यम से भुगर्भ में स्थित कर्मतमणि के चन्द्रप्रभू भगवान का समवसरण प्रकट करके जगत को दर्शन कराया तथा त्रिकाल चौबीसी आदि अनेक जिनविम्ब स्थापित करवाये। यह क्षेत्र मुनि श्री की युगों युगों तक यशोगाथा गाता रहेगा। क्षेत्र एवं मुनि श्री युगों युगों तक जयवन्त रहे।

वास्ते श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेडी

अध्यक्ष   मंत्री   कोषाध्यक्ष

ATTESTED
10-7-20
SURESH CHANDRA SHARMA

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA

500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

P 081280

15 JUN 2020

श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र चाँदखेडी,

खानपुर, जिला झालावाड (राजस्थान)

Ex-8

16.9.2020

विधान पत्र

(संशोधित)

1. संस्था का नामः– इस संस्था का नाम श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेडी खानपुर जिला झालावाड (राज.)

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्रः– इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेडी का प्रधान कार्यालय क्षेत्र पर ही चांदखेडी खानपुर जिला झालावाड में रहेगा एवं इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत रहेगा।

ATTESTED
10.7.20
(SURESH CHANDRA SHARMA)
Notary KOTA (Raj.)

वास्ते श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेडी

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष

3. प्रेरणा व आशीर्वादः– संत शिरोमणी आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज।

पुनरोत्थानः– श्री दिगम्बर जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधासगर जी के प्रेरणा/आशीर्वाद/ निर्देश एवं आज्ञानुसार इस संस्था का पुनरोत्थान किया गया।

5. संस्था के उद्देश्यः–

1. इस संस्था का मुख्य उद्देश्य श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेडी एवं उसके अन्तर्गत जैन मंदिर, समवशरण मंदिर, अन्य मंदिर एवं यहां निर्मित आयतन धर्मशालाऐं एवं विद्यालय, औषधालय, आधुनिक, लौकिक एवं धार्मिक विद्यालय, गोशाला, महा विद्यालय तथा आगे भी निर्मित होने वाले आयतनों की स्वामित्वपूर्वक सुरक्षा एवं संचालन करना, संरक्षित करना एवं तत् सम्बन्धी अन्य कार्य करना।

संत सुधासागर पब्लिक स्कूल एवं अन्य स्कूल एवं छात्रावासों का निर्माण करवाकर स्वामित्व पूर्वक संचालन करना। इसी प्रकार और भी विद्यालय, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र अस्पताल, औषधालय, प्राकृतिक चिकित्सालय, विभिन्न तकनीकी अभियांत्रिकी प्रबंधकीय शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पेरामेडीकल, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, उच्च प्रशिक्षण संस्थान एवं रिसर्च संस्थान की स्थापना कर संचालन करना। सी.बी.एस.ई. बोर्ड, आई.जी. सी.एस.ई. बोर्ड, आ.ई.बी. बोर्ड, आर.बी.एस.ई. बोर्ड आदि आधुनिक बोर्ड वाले विद्यालय/ विश्वविद्यालय खोलने तथा स्वामित्व पूर्वक संचालित करना उन्हें कम्प्यूटर लेब आदि आधुनिक शिक्षा तकनीकी प्रदान करना।

दिगम्बर जैन साहित्य शोध संस्थान की स्थापना करना एवं संचालित करना। यह शोध स्थान इसी क्षेत्र का अंग रहेगा।

ATTESTED 10.7.20 (SURESH CHANDRA SHARMA) Notary KOTA (Raj.)

4. श्री दिगम्बर जैन धर्म के हुंडावसर्पिणी काल के आदि तीर्थकर भगवान ऋषभदेव से भगवान महावीर पर्यन्त चतुर्विंशति तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित, स्यादवाद् अनेकांत, सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चारित्र से संबंधित श्रमण संस्कृति एवं अहिंसा, शाकाहार समता, पर्यावरण आदि सिद्धांतों का प्रचार–प्रसार करना।

5. इस क्षेत्र पर साधु–सन्त विद्वान एवं श्रावक गणों के द्वारा सभी धार्मिक अनुष्ठान आदि उपरोक्त कुन्दकुन्द मूल आम्नायनुसार एवं तेरापंथानुसार ही कर सकेंगे। धार्मिक आदि अनुष्ठान से पूर्व संस्था की स्वीकृति अनिवार्य है दातारों द्वारा दिया गया दान, मूर्ति आदि की स्थापना इसी आम्नायानुसार ही स्वीकृत की जाएगी। उपरोक्त कुन्दकुन्द पर मूल आम्नाओं एवं तेरापंथानुसार को ध्यान में रखकर ही क्षेत्र एवं संस्था की स्थापना की गई है। तदानुसार पंचामृत अभिषेक, स्त्रियों, द्वारा अभिषेक, मूर्ति पर पुष्प चढाना, केसर लगाना रागी रानी द्वेषी, असंयमी क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि देवी देवताओं की स्थापना पूजन पाठ झाडा फूंकी आदि सर्वथा वर्जित था है और रहेगा।

6. संस्था द्वारा प्रस्तावित एवं प्राचीन धार्मिक क्षेत्र का निर्माण एवं विकास करना व्यवस्था करना। इस संस्था की समस्त चल एवं अचल सम्पति का संरक्षण संवर्धन एवं व्यवस्था करना।

7. दिगम्बर जैन समाज के धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करना।

8. धार्मिक पर्वो में समारोह एवं आयोजनों को करना व कराना।

9. क्षेत्र एवं समाज उत्थान हेतु परम पूज्य सच्चे मुनि संघों, आर्यिकाओं, त्यागीवृतियों, विद्वानों एवं अन्य प्रबुद्धजनों, श्रेष्ठीयों को आमंत्रित करना, एवं धर्मोपदेश कार्यक्रमों की व्यवस्था करना तथा शिथलाचारी एवं एकल विहारी साधुओं को आमंत्रित नहीं करना।

10. साहित्य एवं ग्रंथों व धार्मिक साहित्यों का प्रकाशन व प्रचार करना।

11. सामाजिक एवं शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना व कराना।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
कोटा खण्ड कोटा

ATTESTED
SURESH CHANDRA SHARMA
Notary KOTA (Raj.)

श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी
अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष कार्याध्यक्ष

12. पुरातत्व शोध एवं अनुसंधान आदि के कार्य करना एवं करवाना, तथा जैन धर्म एवं संस्कृति की खोज हेतु सहयोग लेना एवं देना। पुरातत्व के संरक्षण हेतु कार्य एवं व्यवस्था करना।

13. सकल दिगम्बर जैन समाज के सिद्ध क्षेत्रों, तीर्थ क्षेत्रों एवं धर्मायतनों के रक्षार्थ एवं जीर्णोद्धार सहायता करना एवं करवाना एवं आवश्यकतानुसार उनके प्रबंध संचालन में सहयोग करना एवं करवाना।

14. दिगम्बर जैन मंदिर उदासीन आश्रम, त्यागीवृति आश्रम आदि पारमार्थिक संस्थाओं की स्थापना करना व करवाना।

15. विधवा महिलाओं, असमर्थ छात्र छात्राओं वृद्ध असहाय व्यक्तियों एवं विकलांगों को सभी प्रकार की सहायता देना एवं दिलाने कि प्रबंध व्यवस्था करना। केन्द्रिय राज्य सरकार के अल्पसंख्यक विभाग से पंजीयन करवाना व प्रदत्त योजनाओं से समाज को लाभान्वित करना

16. अखिल भारतीय दिगम्बर जैन समाज के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक अधिकारों एवं हितों के संरक्षण हेतु अखिल भारतीय आंदोलनों में यथोचित सहयोग करना एवं आवश्यकता पडने पर केन्द्रीय संस्थाओं का सदस्य बनना।

17. संस्था के कार्य सम्पादन के लिए आवश्यकतानुसार उप समितियों का गठन करना।

18. इस तीर्थ क्षेत्र के जीर्णोद्धारक वास्तुविज्ञा निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधासागर जी महाराज की भावनाओं के अनुसार ही कार्य करना एवं करवाना।

19. इस तीर्थ क्षेत्र पर आर्ष सच्चे (देव शास्त्र गुरू) पद्धति ही कार्यरूप में होगी।

20. दिगम्बर जैन धर्म (आगम) का एवं धार्मिक ज्ञान का प्रसार प्रचार करना, क्षेत्र से सम्बन्धित साहित्य, दस्तावेज आदि की सुरक्षा करना, धार्मिक पुस्तकें छपवाना, प्रकाशित करना, मासिक पाक्षिक पत्र पत्रिकायें छपवाना एवं इस हेतु सुसंगत कानून के तहत पंजीकृत करवाना एवं समाचार पत्र पत्रिका प्रकाशन सम्पादन करवाना।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
खण्ड कोटा

ATTESTED
10.7.20
SURESH CHANDRA SHARMA
Notary KOTA (Raj.)

ट्रस्ट श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी
अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष कार्याध्यक्ष

24. जो साधू चैत्यालय निकालने के लिए आमंत्रित किया जाएगा उसे कम से कम 15 दिनों तक गुफा के द्वार पर समवशरण निकालने से पूर्व ध्यान/जाप प्रतिदिन करना होगा। कमेठी द्वारा मंदिर जी में 15 दिनों तक प्रतिदिन शांति विधान किया जायेगा। मंदिर शुद्ध करके दिग्बन्धन किया जावेगा। जिस दिन चैत्यालय निकाला जाय उस दिन सम्पूर्ण मंदिर को शुद्ध करके दिगवंदन किया जाए, साथ ही काले या लाल कपडे में श्रीफल हल्दी की गाठ व पीली सरसों बांधकर/मंत्रित कर मंदिर के उपर चारों दिशाओं में बांधे जाए जिससे विघ्नकारी शक्तियां प्रभावहीन हो जायेगी। 15 दिन तक निरन्तर अखण्ड ज्योति गुफा द्वार पर प्रज्जवलित रहेगी। प्रतिदिन गुफा द्वार पर श्रावकों द्वारा हवन किया जायेगा। शांति मंत्र का सवा लाख का जाप संघ या श्रावकों द्वारा किया जाए। शुभ दिन, शुभ मुहुर्त समवशरण निकाला जाए। उस दिन की पूर्व रात्री में आमंत्रित साधु गुफा के सम्मुख प्रतिमायोग धारण कर रात्री जागरण करे तथा निकालने के पूर्व आमंत्रित साधुगण एवं कमेटी के कम से कम 21 सदस्य मुख्य पदाधिकारियों सहित 21 श्रीफल पानी वाले लेकर गुफा के सम्मुख प्रार्थना करें कि भूगर्भ स्थित चेत्यालय को श्रद्धालुओं को दर्शन कराने एवं महामस्तकाभिषेक हेतु इतने दिन के लिए निकाल रहे है। संकल्पित दिन पूर्व होते ही सम्पूर्ण समवशरण को पुनः उसी गुफा में यथा स्थान कमेटी की साक्षी में क्षमायाचना एवं प्रतिक्रमण के साथ निकालने वाला साधु संघ भी गुफा में विराजमान करके आये। गुफा को पूर्णवत अच्छी तरह बन्द करे तथा कमेटी मंदिर जी में समापन पर शांति विधान करें।

25. संत सुधासागर पब्लिक स्कूल चांदखेड़ी का केन्द्रिय परिषद जयपुर का प्रबंध एवं संचालन में मार्गदर्शन एवं सहयोग रहेगा। केन्द्रिय शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश, निर्णय, निर्देश एवं मार्गदर्शन संत सुधासागर पब्लिक स्कूल चांदखेड़ी के लिये बाध्यकारी रहेंगे।

संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज एवं उनके परम शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज कि भावनानुसार कार्य करना।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
कोटा खण्ड कोटा

ATTESTED
10.7.20
(SURESH CHANDRA SHARMA)
Notary KOTA (Raj.)

6. सदस्यता–निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:–

1. संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हो।
2. बालिग हो।
3. पागल, दिवालीया ना हो।
4. संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखता हो।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो।
6. श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेडी खानपुर का सदस्य होना अनिवार्य है। अथवा मुनि श्री की आज्ञा से तीर्थक्षेत्र की कार्यकारिणी अपने स्वयं विवके से क्षेत्र के प्रति समर्पित क्षेत्र की आम्नाओं का स्वीकार करने वाला हो एवं आचार्य विद्यासागर तथा क्षेत्र संप्रेरक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज में श्रद्धा रखने वाला हो एवं दिगम्बर जैन धर्मानुयायी हो ऐसे योग्य सदस्यों को मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की आज्ञा पूर्वक कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जा सकता है चाहे भले ही क्षेत्र के सदस्य न हो ऐसे सदस्य मात्र तत्कालीन कार्यकारिणी कमेटी के कार्यकाल तक सीमित होंगे।
7. श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन चन्द्रोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र चांदखेडी की मूल आम्नाय और दिगम्बर जैन तेरा पंथ का मानने वाला होगा।
8. आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं मुनि पुंगव 108 श्री सुधासागर जी महाराज की परम्परा पर विश्वास रखने वाला हो।
9. सदस्यता शुल्क जमा करने पर।

7. सदस्यों का वर्गीकरण:–

1. परम शिरोमणी संरक्षक:

सदस्यता राशि 21लाख रूपये (अक्षरे इक्कीस लाख रूपये) यह राशि 5 किस्तों में देय होगी। 4 लाख 20 हजार रूप्ये प्रति वर्ष। इसका नाम लेटर पेड पर भी अंकित किया जायेगा। तथा कार्यकारिणी का जीवनपर्यंत सदस्य रहेगा। एवं लेटर पेड पर उसका अंकित किया जाएगा।

ATTESTED
SURESH CHANDRA SHARMA
Notary KOTA (Raj.)

श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेडी
अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष

2. शिरोमणी संरक्षकः

वे दिगम्बर जैन धर्मानुरागी जो संस्था के कोष में सदस्यता हेतु 11 लाख रूपये देंगे। यह राशि 5 वर्षो में देय होगी। 2 लाख 20 हजार रूपये प्रतिवर्ष देना होगा, कार्यकारिणी का पदेन आजीवन सदस्य होगा।

परम संरक्षकः

सदस्यता राशि 5 लाख रूपये पांच वर्षो में पांच किस्तों में देय होगी। प्रतिवर्ष 1 लाख रूपये देय होंगे। पांच संरक्षक से अधिक होने पर सम्पूर्ण परम संरक्षकों में से पांच का कार्यकारिणी के लिए चयन किया जाएगा।

संरक्षक सदस्यः

जो महानुभाव 1 लाख रूप्ये पांच वर्षो में आठ किस्तें इस अतिशय क्षेत्र के सदस्यता हेतु दान करेंगे वो इस अतिशय क्षेत्र के संरक्षक होंगे प्रतिवर्ष 12,500/- देने होंगे। संरक्षकों में 71 अधिकतम तथा कम से कम 31 सदस्यों को कार्यकारिणी के लिए चुने जायेंगे।

5. साधारण सदस्यताः

श्री दिगम्बर जैन समाज की त्यागी एवं कर्तव्यनिष्ठ समाजसेवी जो कि क्षेत्र की सेवा के लिए समर्पित है प्रबंध कार्यकारिणी समिति द्वारा मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की आज्ञा के बिना शुल्क के सदस्यता दी भी जा सकती है।

उपरोक्त सदस्यता राशि व्यक्ति अपने परिवार से अथवा कही से एकत्रित करके जमा करवा सकता है। जिस नाम से राशि जमा होगी, सदस्य वही बन सकेगा। उपरोक्त सभी सदस्य मिलकर साधारण सभा कहलायेंगे। प्रतिवर्ष सदस्यता किस्त जमा करना अनिवार्य होगा यदि निर्धारित तिथि पर किस्त की राशि जमा नहीं कराई जाती है तो एक वर्ष का और समय दिया जायेगा यदि दूसरे वर्ष भी पूर्व किस्त की राशि जमा नहीं कराई तो सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी। जमा की गयी राशि वापिस नहीं की जायेगी। सदस्यों की कम से कम 2 किस्त जमा होने पर ही चुनाव में वोटों का एवं चुनाव में खडे होने का अधिकार होगा।

ATTESTED
10.7.20
(SURESH CHANDRA SHARMA)
Notary KOTA (Raj.)

सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दाः

उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा शुल्क व चन्दा देय होने पर ही सदस्यता मान्य होगी।

7. सदस्यता से निष्कासनः

1. साधारण सभा द्वारा अमान्य घोषित करने पर।
2. क्षेत्र के हितों के विपरीत कार्य करने पर।
3. क्षेत्र की आम्नाय से छेडछाड करने पर।
4. निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी के निर्देश मिलने पर अथवा उनकी भावना के प्रतिकूल चलने पर।
5. पूर्व सूचना दिये बिना क्षेत्र की लगातार तीन मिटिंग में नहीं आने पर।
6. गलत एवं अनैतिक कार्यो में दोषी पाये जाने पर।
7. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।
8. सदस्य द्वारा त्याग पत्र देने व कार्यकारिणी द्वारा स्वीकार कर लेने पर।
9. संस्था द्वारा सदस्यता समाप्त कर दिये जाने पर।
10. पागल होने पर व करार दिये जाने पर।
11. दिवालिया घोषित होने पर।
12. अक्षम होने पर।
13. धर्म परिवर्तन कर लेने पर।

8. सधारण सभाः

परम शिरोमणी संरक्षक, शिरोमणी संरक्षक, परम संरक्षक, संरक्षक एवं विशिष्ट सदस्य मिलकर साधारण सभा मानी जायेगी।

9. सधारण सभा के अधिकार और कर्तव्यः

1. साधारण सभा द्वारा कार्यकारिणी का चयन किया जायेगा।
2. निर्धारित गांवों अथवा साधारण सभा के सदस्यों में से निर्धारित सदस्यों की संख्या का चयन साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

ATTESTED
10.7.20
(SURESH CHAND SHARMA)
Notary KOTA (Raj.)

श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी
महामंत्री
कोषाध्यक्ष
कार्याध्यक्ष

3. कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तु अगले वर्ष तक का बजट पारित करना, गत वर्ष का रिकोर्ड हिसाब स्वीकृत करना, हिसाब में आय व्यय की आडिटेड बैलेंस शीट मय अंकेक्षित की गई प्रस्तुत की जावेगी।

4. सभी सभाओं की समस्त कार्यवाही एक पृथक रजिस्टर में अंकित की जावेगी, जो आगामी सभाओं में सम्पुष्टी हेतु प्रस्तुत की जावेगी लेकिन प्रत्येक सभा में पारित अथवा ना पारित प्रस्तावों की कच्ची कार्यवाही (मिनट्स) उसी समय लिखकर सभा अध्यक्ष से हस्ताक्षरित करवाई जावेगी।

5. कार्यकारिणी द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा व पुष्टि करना।

6. समिति के विधान में परिवर्तन व संशोधन साधारण सभा की सदस्यता की 2/3 उपस्थिति के दो तिहाई बहुमत के आधार पर किया जा सकेगा। विधान में इस प्रकार के परिवर्तन के प्रस्ताव पहले कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत किया जाएगा देवस्थान के कार्यालय में फाईल से की गई प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा।

7. कार्यकारिणी समिति द्वारा सम्पति के रूपान्तरण की पुष्टि एवं विक्रय की स्वीकृति देना लेकिन अचल सम्पति की विक्रय की स्वीकृति हेतु साधारण सभा के दो तिहाई 2/3 उपस्थिति होना आवश्यक होगा।

8. समिति के हिसाब अंकेक्षण हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रतिवर्ष नियुक्ति करना।

9. संस्था के नियम अथवा उद्देश्य के विरूद्ध कार्य करने पर किसी भी सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, जिसमें सदस्यता का निष्कासन भी शामिल है अथवा निष्कासित सदस्य का पुनः सदस्य बनाना।

10. वर्ष भर में एक बार मीटिंग में आना अनिवार्य है बिना कारण के न आने पर एक वर्ष का ओर समय दिया जाएगा यदि बिना कारण बताए दूसरे वर्ष भी नहीं आते है तो सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

ATTESTED
(SURESH CHANDRA SHARMA)
Notary KOTA (Raj.)

11. साधारण सभा की मीटिंग वर्ष में एक बार बुलाना आवश्यक होगा उसकी सूचना कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व दी जाना आवश्यक होगा यह सूचना व्यक्तिगत अथवा समाचार माध्यम से देनी होगी। वर्ष में एक बार मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के सानिध्य में बैठक करवाना आवश्यक होगा।

12. साधारण सभा का कोरम कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों की उपस्थिति होने पर पूरा होगा। कोरम के अभाव में बैठक 15 मिनिट पश्चात उसी दिन समय स्थान पर होने के लिये स्थगित मानी जावेगी एवं स्थगित बैठक आयोजित की जावेगी, जिसमें कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विचारणीय विषय पूर्ववत् रहेंगे।

13. पू. मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज द्वारा दिये गये निर्णय एवं निर्देश सर्वमान्य होंगे उनका आदेश सर्वोपरि होगा। वर्ष भर में हुए कार्यो का संक्षिप्त विवरण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा एवं भावी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जावेगी एवं तत्संबंधी विचार विमर्श होगा।

10. कार्यकारिणी का गठनः

1. कार्यकारिणी का गठन साधारण सभा द्वारा मुनि श्री सुधासागर जी महाराज जहां भी विराजमान होंगे वहां जाकर उनके सानिध्य में उनके निर्देशन में किया जावेगा। अथवा मुनि श्री का स्पष्ट रूप से निर्देश मिलने पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जा सकेगा।
2. परम शिरोपमणी संरक्षक (पदेन) एवं शिरोमणी (पदेन) के अलावा निर्धारित गांवों के संरक्षकों में से चयनित अधिकतम 71 अथवा कम से कम 31 सदस्यों को मिलाकर कार्यकारिणी कमेटी मानी जायेगी। कार्यकारिणी का कोरम कम से कम 21 सदस्यों का माना जावेगा।
3. कार्यकारिणी का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।
4. कार्यकारिणी के गठन हेतु मुनि श्री की आज्ञा से चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी।

ATTESTED
SURESH CHAND ... SHARMA
Notary KOTA

श्री अतिशय दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी
महामंत्री
कोषाध्यक्ष

5. किसी परिस्थिति में चुनाव कार्यकाल 6 माह बढाया जा सकता है।

6. परम शिरोमणी संरक्षक सम्पूर्ण शिरोमणी संरक्षक सम्पूर्ण एवं परम संरक्षकों में 5 तथा इनके अलावा विधान में दिये गांवों/नगरों के संरक्षकों में से निर्धारित संख्या में लिए जाएंगे सभी गांवों में से लेना अनिवार्य होगा । निर्धारित गांव के अलावा नये गांव एवं निर्धारित संख्या को मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की आज्ञा ले कर साधारण सभा द्वारा घटाया/बढाया जा सकता है।

11. निम्न गांवों में से निम्न संख्याओं पर सदस्यों का चयन करनाः

क्र.सं.	गांव का नाम	प्रतिनिधि संख्या
1	कोटा	9
2	कैथून	1
3	सांगोद	1
4	रामगंजमंडी	3
5	झालावाड	2
6	झालरापाटन	2
7	खानपुर	5
8	सारोला	3
9	पिडावा	1
10	भवानीमंडी	1
11	किशनगढ	1
12	हरिगढ	1
13	मोडक	1
14	के.पाटन	1
15	कनवास	1
16	कापरेन	1
17	नसीराबाद	1
18	ब्यावर	1

ATTESTED
10-1-20
(SURESH CHANDRA SHARMA)
Notary KOTA (Raj.)

19	जयपुर	2
20	अजमेर	1
21	अलोद	1
22	बूंदी	1
23	बारां	1
24	छबडा	1
25	मांडलगढ	1
26	आवां	1
27	इन्द्रगढ	1
28	थनावद	1
29	केकडी	1
30	सिमलिया	1
31	तीरथ	1
32	घाट का बराना	1
33	सूरत (गुजरात)	3
34	गुना (मध्यप्रदेश)	3
35	कुम्भराज (मध्यप्रदेश)	1
36	अशोक नगर (मध्यप्रदेश)	2
37	मुंगावली (मध्यप्रदेश)	1
38	सागर (मध्यप्रदेश)	1
39	भानपुरा (मध्यप्रदेश)	1
40	राघोगढ (मध्यप्रदेश)	1
41	आरोन (मध्यप्रदेश)	1
42	रूठियाई (मध्यप्रदेश)	1
43	ललितपुर (मध्यप्रदेश)	2
44	संघारा (मध्यप्रदेश)	1
45	सिंगोली (मध्यप्रदेश)	1

ATTESTED
10.7.20
SURESH CHANDRA SHARMA
Notary KOTA (Raj.)

46	भेंसरोड गढ	1
47	रावतभाटा	1
48	बोराव	1
49	मांझी की देवली	1
50	जयस्थल (बूंदी)	1
51	डाबी	1

नोट :– उपरोक्त ग्राम में रहने वाले दिगम्बर जैन श्रेष्ठीयों को परम शिरोमणी संरक्षक अथवा शिरोमणी संरक्षक अथवा परम संरक्षक अथवा संरक्षक के रूप में धारा 7 में वर्णित सदस्यता शुल्क विधानानुसार देना होगा तभी उन्ही को ही चयनित किया जा सकता है। इसके अलावा 11 मनोनीत सदस्यों को भी मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की आज्ञा से साधारण सभा चयन कर सकती है। यदि उपरोक्त गांवों में से किसी गांव से की ने भी कोई भी सदस्यता स्वीकार नहीं की अथवा किस्त जमा नहीं कराई है तो उस गांव से सदस्यता लेना अनिवार्य नहीं होगा।

12. उपरोक्त सभी गांवों से 71 कार्यकारिणी के अधिकतम सदस्य चुने जायेंगे। कम से कम 31 लेना अनिवार्य है। किस गांव से लेना है किस से नहीं लेना यह निर्णय मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की आज्ञा से साधारण सभा करेगी।

नोट :– उपरोक्त गांवों से सदस्यों का चयन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के सानिध्य में उनकी आज्ञा से करेंगे।

इसके अतिरिक्त 11 सदस्यों को सहवटित करने का अधिकार अध्यक्ष को मुनि श्री की आज्ञा लेकर होगा।

13. कार्यकारिणी में निम्न पदाधिकारी होंगेः

1. अध्यक्ष – 1
2. कार्याध्यक्ष – 1
3. उपाध्यक्ष – 2
4. मंत्री – 1

ATTESTED
(SURESH CHANDRA SHARMA)
Notary KOTA (Raj.)

7. इस क्षेत्र संबंधी सभी पत्र व्यवहार एवं आमंत्रण, प्रबंध कार्यकारिणी समिति की ओर से अध्यक्ष एवं मंत्री करेगा।
8. इस क्षेत्र की ओर से अथवा उसके विरूद्ध समस्या कानूनी कार्यवाही अध्यक्ष की अनुमती से महामंत्री करेंगे।
9. कार्यकारिणी द्वारा आगामी कार्यकाल का बजट गत कार्यकाल का रिकार्ड, आय व्यय का आंकडा एवं बैलेंस शीट मय आंतरिक निरीक्षण के प्रतिवेदन तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित हिसाब पारित करना। उसकी स्वीकृति हेतु साधारण सभा में प्रस्तुत करना।
10. समिति के चल अचल तथा अन्य सम्पतियों की रक्षा व देखभाल करना। कार्यकारिणी समिति चल अचल सम्पतियों का क्रय विक्रय साधारण सभा में पारित कराकर ही कर सकेगी।
11. आवश्यकता पडने पर कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्ता तथा सेवा संबंधी नियमों का समय समय निर्माण करना एवं उन्हें लागू करना।
12. साधारण सभा द्वारा पारित सभी प्रस्तावों को कार्यरूप में परिणित करना।
13. समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यकारिणी समिति योजना एवं आयोजना आदि विभिन्न विभागों की स्थापना करेगी। उन विभागों के संचालन एवं संचालनार्थ संयोजन के अधीन उक्त समिति गठित की जा सकेगी। प्रत्येक संयोजन अपने विभाग का रिकार्ड एवं हिसाब मंत्री के माध्यम से अध्यक्ष को समय समय पर प्रेषित करेंगे।
14. कार्यकारिणी समिति अन्य सभी कार्य करेगी। जो संस्था के उद्देश्य के पूर्ति में सहायक हो।

15. कार्यकारिणी की बैठक :

कार्यकारिणी को वर्ष में कम से कम दो अधिवेशन करना अनिवार्य है। वर्ष में एक मीटिंग मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के सानिध्य में रखना अनिवार्य होगा।

ATTESTED
10-7-20
SURESH CHANDRA SHARMA
Notary

श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष

2. कार्यकारिणी की समिति की बैठक का कोरम सभा में उपस्थित न्यूनतम ग्यारह सदस्यों का माना जावेगा।

3. कार्यकारिणी बैठक की सूचना कम से कम प्राय 3 दिन पूर्व जारी की जारी की जावेगी जिसमें बैठक का स्थान तारीख सयम एवं कार्य का विवरण उल्लेखित होगा सभा की सूचना पत्राचार द्वारा दूरभाष (टेलीफोन) अथवा एजेण्डा भेजकर या अन्य किसी साधन से दी जा सकती है।

4. कार्यकारिणी के न्यूनतम 20% सदस्यों के लिखित आवेदन कारण सहित आने पर अध्यक्ष अथवा मंत्री को कार्यकारिणी सभा अवश्य बुलानी होगी।

5. कार्यकारिणी समिति की सभा की समस्त कार्यवाही पृथक रजिस्टर में लिखी जायेगी, जिसे आगामी सभा में पारित कराया जायेगा।

6. समिति का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत सरकारी बैंक में खोला जावेगा।

7. बैंक खाते का संचालन कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष या मंत्री में से किन्ही दो हस्ताक्षरों से किया जायेगा, परन्तु कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। कार्यकारिणी समिति में प्रत्येक विषय पर निर्णय बहुमत से होगा किन्तु बराबर मत आने पर सभा अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग कर सकेगा।

9. कार्यकारिणी समिति विधान में परिवर्तन परिवर्धन एवं संशोधन का साधारण सभा में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी।

10. कार्यकारिणी समिति के सदस्य का निधन, त्याग पत्र देने अथवा लगातार 3 मीटिंग में पूर्व सूचना के बिना अनुपस्थित रहने पर स्थान रिक्त समझा जावेगा इस रिक्त स्थान की पूर्ति कार्यकारिणी समिति उसी वर्ग के सदस्यों में से करेगी।

11. कार्यकारिणी समिति संस्था के कार्य हेतु चन्दा दान अनुदान सहायता प्राप्त कर सकेगी और अति आवश्यक कार्य हेतु रकम उधार लेने एवं देने का कार्य कर सकेगी।

ATTESTED
10-7-20
(SURESH CHANDRA SHARMA)
Notary KOTA (Raj.)

16. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारीयों के कर्तव्य एवं अधिकारः

संस्था की प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारीयों के कर्तव्य एवं अधिकार निम्न प्रकार होंगेः

1. संरक्षक मण्डलः

परम शिरोमणी संरक्षक शिरोमणी संरक्षक परम संरक्षक एवं संरक्षक मिलाकर संरक्षक मण्डल माना जावेगा। समिति के कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्यों के विकास में कार्य करना।

2. अध्यक्षः

1. कार्यकारिणी एवं साधारण सभा की अध्यक्षता करना और नियमानुसार सुचारू रूप से संचालित करना।
2. किसी भी विषय पर बराबर मत आने पर अपने निर्णायक मत प्रयोग कर निर्णय देना।
3. समिति का प्रतिनिधित्व करना।
4. समिति के आदेशानुसार उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वयं अथवा मंत्री के द्वारा समस्त कानूनी कार्यवाही करना एवं कराना।
5. समिति के कार्यक्षेत्र के उन्नति के लिए तत्पर रहना।
6. अपने एवं कोषाध्यक्ष एवं मंत्री के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खाता संचालित **(OPERATE)** करना।
7. संस्था के नियमों के विरूद्ध कार्य नहीं होने देना।
8. आवश्यकता होने पर स्वयं के द्वारा एक मुश्त 2 लाख रूप्ये संस्था के कार्यो के लिये व्यय करना। इस राशि की संपुष्टि अगली कार्यकारिणी मीटिंग में पास कराना होगा।
9. मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की आज्ञानुसार कार्य करना एवं कराना।
10. विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विधान के अन्तर्गत विवाद को सुलझाने का प्रयास करना।
11. समिति के आय व्यय पर नियंत्रण रखना।

ATTESTED
(SURESH CHANDRA SHARMA)
Notary KOTA (Raj.)

12. विशेष परिस्थिति में कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति करना।

13. इस समिति एवं इसके अन्तर्गत समस्त चल अचल सम्पति एवं संस्थाओं आदि की विवादास्पद न्याय एवं कानूनी प्रक्रिया की स्थिति में समिति के अध्यक्ष एवं मंत्री अथवा इनके द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति की कानूनी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत होंगे।

14. अध्यक्ष किसी भी एक पदाधिकारी जैसे कि कार्या अध्यक्ष, संयोजक, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष में से किसी एक को साथ लेकर निश्चित समय व तारीख पर गुप्त दान की गुल्लक को खुलवा सकते है। जिसका कि जमा खर्च कोषाध्यक्ष के साथ मिलकर लेखा पुस्ताकों में दर्ज करवाना रहेगा।

3. कार्याध्यक्षः

अध्यक्ष के कार्यो में सहयोग करना एवं अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना व प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

4. उपाध्यक्षः

अध्यक्ष एवं कार्य अध्यक्ष व संयोजक के कार्यो में सहयोग करना प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

5. मंत्रीः

1. समय–समय पर नियमानुसार साधारण साधारण साधारण एवं कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन (बैठक) बुलाना, उनके कार्यक्रम निर्धारित करना।
2. अधिवेशनों की कार्यवाही पृथक–पृथक रजिस्टरों में लिखना एवं रिकार्ड करना।
3. समिति की आय व्यय पर नियंत्रण करना।

वास्ते श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष कार्याध्यक्ष

ATTESTED
10-7-20
KESH CHANDRA SH...
Notary KOTA (Raj.)

4. समिति के कर्मचारियों पर नियंत्रण करना, उनके वेतन या बिल पास करना तथा विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष की सहमति से समिति के कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति करना, नियुक्ति की पुष्टि अगली कार्यकारिणी की बैठक में करवाना अनिवार्य होगा।
5. समिति के आदेशानुसार उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वयं अथवा अध्यक्ष की सलाह से कानूनी कार्यवाही करना व कराना।
6. आवश्यक पत्र व्यवहार करना।
7. समिति की चल व अचल सम्पत्ति की देखभाल व सुरक्षा करना।
8. समिति द्वारा पारित प्रस्तावों को मूर्त रूप देना।
9. आवश्यकता पडने पर अपने अधिकार से एक मुश्त 50,000 रूप्ये तक संस्था के कार्यो के लिए क्रय करना। इसके बाद आवश्यकता पडने पर अध्यक्ष कोषाध्यक्ष की सहमति से क्षेत्र के हित में यथोयोग्य व्यय करना।
10. समिति का नया वर्ष आरंभ होने से पूर्व घोषित बजट तैयार कर प्रस्तुत करना।
11. समिति का हिसाब कोषाध्यक्ष के सहयोग से अंकेक्षित करवाना।
12. समय–समय पर समिति की रिपोर्ट समिति द्वारा पास करवाकर इसे प्रकाशित करवाना।
13. समिति के कार्यक्षेत्र की उन्नति एंव विकास के लिए सर्तक प्रयत्नशील रहना।

17. कोषाध्यक्षः

1. वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखा पर नियंत्रण करना।
3. आय–व्यय का पूर्ण रूपेण नियमानुसार व्यवस्थित रूप से हिसाब रखना इस हेतु समस्त अभिलेख, वाउचर विधिवत सम्पादित करना।
4. चन्दा, दान, अनुदान एवं सदस्यता शुल्क आदि प्राप्त कर अपने हस्ताक्षर से समिति की रसीद देना।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
कोटा खण्ड कोटा

ATTESTED
(SURESH CHANDRA SHARMA)
Notary KOTA (Raj.)

महामंत्री कोषाध्यक्ष अध्यक्ष

5. आवश्यकता पडने पर अध्यक्ष, मंत्री तथा अन्य पदाधिकारियों को आन्तरिक चैक व्यवस्था द्वारा राशि देना तथा उसके आदेशानुसार अन्य भुगतान करना।
6. प्रधान कार्यालय के पास अधिकतम 3,00,000 रूपये रख सकेगा शेष राशि बैंक में जमा कराना व स्वयं के पास अधिकतम 50,000 रूपये रख सकेगा।
7. वार्षिक हिसाब तैयार कर मंत्री के सहयोग से अंकेक्षण करवाकर मंत्री को प्रेषित करना।
8. अपने और मंत्री अथवा अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक अकाउन्ट अपडेट करना।
9. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।
10. आवश्यकता पडने पर अधिकार से एक मुश्त 51,000 रूपये तक खर्च करना। अध्यक्ष मंत्री को सहमति से क्षेत्र के हित में कार्य करना।

मंत्रीः

1. कार्यकारिणी की स्वीकृति अथवा निर्देश पर इस समिति के अन्तर्गत इस संस्था के मंदिर भवन आदि की योजना के नक्शे आदि बनवाकर कार्यकारिणी से स्वीकृति करवाना तथा अध्यक्ष तथा मंत्री के निर्देश पर निर्माण कार्य करवाना।
2. निर्माण आदि कार्यो के लिए धन राशि संचय करने की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना, दान राशि करना।
3. भंडारीः– स्टॉक रजिस्टर को व्यवस्थित करना।

19. संस्था का कोषः संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगाः

a. चन्दा
b. शुल्क
c. टनुदान
d. सहायता
e. ध्रुव फण्ड

ATTESTED
(SURESH CHANDRA SHARMA)
Notary KOTA (Raj.)

वास्ते श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी
अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष

f. राजकीय अनुदान

g. गुप्त दान गुल्लक

1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से सुरक्षित की जावेगी।
2. अध्यक्ष मंत्री, कोषाध्यक्ष के किन्हीं दो पदाधिकारियों से संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन होना। किन्हीं दो में से कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।
3. समिति के स्थायी ध्रुवफण्ड की मूल राशि को किसी भी कभी भी किसी भी स्थिति में समिति द्वारा व्यय नहीं किया जावेगा। इन स्थाई ध्रुवफण्डों की राशि पर बैंक से ऋण नहीं लिया जायेगा। मात्र स्थाई ध्रुवफण्ड के ब्याज को बैंक से निकाल कर क्षेत्र समुचित व्यवस्था हेतु समिति द्वारा व्यय किया जा सकेगा।
4. इस समिति के अन्तर्गत समस्त चल–अचल समिति दान एवं दान की घोष में जिन मंदिर जिन प्रतिमाऐं आदि समस्त सम्पत्ति का स्वामित्व एवं आधिपत्य इसी श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेडी का रहेगा तथा समस्त समितियां इस क्षेत्र के अन्तर्गत निहित है।

20. संस्था का अंकेक्षणः

समिति के समस्त लेखे–जोखों का अंकेक्षण कम से कम वर्ष में एक बार और अधिक से अधिक तीन वर्ष में एक बार अंकेक्षण आवश्यक है।

21. संस्था के विधान में परिवर्तनः

समिति के विधान से आवश्यकतानुसार मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के निर्देशपूर्वक प्रस्ताव की स्वीकृति देने पर साधारण सभा के कुल सदस्यों 2/3 उपस्थिति सदस्यों का 2/3 तीन बहुमत से परिवर्तन अथवा संशोधन किया जा सकेगा। जो रा. रजि. अधिनियम 1958 की धारा 2 के अनुरूप होगा।

22. संस्थान का विघटनः

श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेडी की मर्यादा भंग होने पर अथवा तीर्थ क्षेत्र के उद्देश्यों की पूर्ति न होने पर अथवा किसी कारण से यदि संस्थान का विघटन आवश्यक हुआ तो समउद्देश्य वाले तीर्थक्षेत्र में समाहित कर दी जावेगी।

ATTESTED

वास्ते श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष

23. संस्था के लेखे जोखे:

रजिस्ट्रार संस्थाए झालावाड को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार तथा उनके द्वारा दिए गए सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

24. विविध:

समिति द्वारा निमर्ण कार्य धार्मिक भावनाओं के आधार पर किया जावेगा। इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति को प्रवेश निषेध होगा समिति एवं क्षेत्र की आम्नाये तथा क्षेत्र से सम्बन्धित समितियों में किसी प्रकार के मत–भेद होने पर अथवा अन्य सभी परिस्थितियों में भी क्षेत्र के प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 श्री मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज का निर्देश एवं मार्गदर्शन अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

मुनि पुंगव सुधा सागर जी की समाधि होने पर जहां जहां उनका नाम आया है वहां महाराज की समाधि के पश्चात् उनकी परम्परा के साधू के निर्देश मान्य होंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन चन्द्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेडी समिति का सही व सच्ची प्रति है।

सत्य प्रतिलिपि

वास्ते श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष

उपाध्यक्ष

ATTESTED

(SURESH CHANDRA SHARMA)
Notary KOTA (Raj.)

प्रपत्र संख्या – 4
(देखिये नियम 16 तथा 22 ख)

परिवर्तन रजिस्टर

क्र.सं.	लोकन्यास का रजिस्टर्ड नम्बर तथा नाम	न्यासी के प्रतिवेदन की तारीख यदि परिवर्तन प्रतिवेदन के अलावा अन्य आधार पर किये गये हो तो कुछ न लिखें।	लोक न्यास रजिस्टर में वांचित परिवर्तनों का रूप	आज्ञा का सारांश उसकी तारीख तथा सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर	अभ्युक्ती
1	2	3	4	5	6
123 30.9.2020	31/1963 श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला-झालावाड़ सत्य प्रतिलिपि सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा	प्रन्यास कमेटी का गठन दिनांक 21.11.2018, 18.9.2018, 28.3.2019 एवं 16.3.2020 की बैठकों में पारित प्रस्ताव के आधार पर संशोधित विधान एवं कार्यकारणी में हुए परिवर्तनों के इन्द्राज हेतु पेश किये प्रपत्र-8 प्रपत्र-1 अनुसार	संशोधित विधान प्रपत्र-8 अनुसार व कार्यकारिणी पदाधिकारी 1. श्री हुकमजैन काला अध्यक्ष 2. श्री अजयकुमार बाकलीवाल कार्याध्यक्ष 3. श्री नरेश जैन वैद महामंत्री 4. श्री गोपाल जैन एडवोकेट कोषाध्यक्ष 5. श्री महावीर प्रसाद जैन कार्यकारी महामंत्री 6. श्री लाभचंद सुरलाया संयोजक और पत्रावली संख्या 21/2020 में पारित आदेश 30.9.2020 में पारित आदेश की पालना में इन्द्राज किया।	सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा	